कोठारी आयोग - 1964-66

भारत सरकार ने शिक्षा के पुनर्गठन पर समग्र रूप से सोचने समझने और देश भर के लिए सामान शिक्षा निति का निर्धारण करने के उद्देश्य से 14 जुलाई 1964 ई० को डा० डी० एस० कोठारी की अध्यक्षता में 17 सदस्यीय 'राष्ट्रीय शिक्षा आयोग' का गठन किया। इस आयोग को इसके अध्यक्ष के नाम पर 'कोठारी आयोग' भी कहते है।

आयोग का उद्देश्य :- भारत सरकार ने आयोग की नियुक्ति के उद्देश्य के सन्दर्भ में यह घोषणा की कि आयोग भारत सरकार को शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप और उसके सभी स्तरों एवं पक्षों के सम्बन्ध में सामान्य सिद्धान्तों एवं नीतियों के विषय में सुझाव देगा।

आयोग का कार्यक्षेत्र:- आयोग का कार्यक्षेत्र निम्नांकित बिन्दुओं के आधार पर समझा जा सकता है।

1. तत्कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का गहराई से अध्ययन करना और उसके प्रति व्याप्त असंतोष के कारणों का पता लगाना और उसमें सुधार के लिए सुझाव देना।
2. पूरे देश के लिए शिक्षा के आयोजन और प्रशासन सम्बन्धी नीति निश्चित करना और इस सम्बन्ध में सरकार को सुझाव देना।
3. पूरे देश के लिए सामान शिक्षा प्रणाली प्रस्तावित करना, ऐसी शिक्षा प्रणाली जो देश के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक आदि के विकास में सहायक हो।
4. पूरे देश में किसी भी स्तर की किसी भी प्रकार की शिक्षा के प्रसार एवं उसमें गुणात्मक सुधार के लिए उपायों की खोज करना और इस सम्बन्ध में सरकार को सुझाव देना।

A Quality Product from Chitra

आयोग का प्रतिवेदन :- यह प्रतिवेदन 692 पृष्ठों का एक बृहत् दस्तावेज है, जो तीन खण्डों में विभाजित है। प्रथम खण्ड में 6 अध्याय, द्वितीय में 11 तथा तृतीय में केवल 2 अध्याय है। इन सभी अध्यायों में सभी प्रकार की शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं और उनके समाधानों को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। आयोग ने 29 जून 1966 ई० को अपना प्रतिवेदन "शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति" [Education & National Development] भारत सरकार को प्रेषित किया।

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के मुख्य सुझाव :-

1. शिक्षा के प्रशासन, वित्त एवं नियोजन सम्बन्धी सुझाव :-

(i) प्रशासन सम्बन्धी सुझाव :-

a- शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय माना जाये और उसकी राष्ट्रीय नीति घोषित की जाये।

b- केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के सांख्यिकी विभाग को सुदृढ़ किया जाये।

c- भारतीय शिक्षा सेवा में उन व्यक्तियों का चयन किया जाये जिन्हें शिक्षण कार्य का अनुभव हो।

d- N.C.E.R.T. को अखिल भारतीय स्तर पर विद्यालयी शिक्षा का भार सौंपा जाये।

(ii) वित्त सम्बन्धी सुझाव :-

a- केन्द्र सरकार अपने बजट में कम से कम 6% का प्रावधान करें।

राज्य सरकारें भी अपने बजटों में और अधिक धनराशि

A Quality Product from Chitra

आवंटित करें।

c- व्यक्तिगत स्रोतों से अधिक से अधिक धन प्राप्त किया जाये।

d- राज्यों में ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं को उनके क्षेत्र की प्राथमिक शिक्षा संस्थानों का वित्तीय भार सौंपा जाये।

(iii) नियोजन सम्बन्धी सुझाव :-

a- शैक्षिक नियोजन में अपव्यय एवं अवरोधन को रोकने के लिए विशेष प्रावधान किया जाये।

b- शैक्षिक नियोजन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाये कि कुल शिक्षा बजट राशि का ⅔ भाग प्राथमिक शिक्षा पर व्यय हो और ⅓ भाग उच्च शिक्षा पर व्यय किया जाये।

c- शैक्षिक नियोजन केन्द्रीय और प्रांतीय स्तर पर अलग-अलग किया जाये।

d- शैक्षिक नियोजन इस प्रकार किया जाये कि 7-14 वर्ष आयु वर्ग के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जा सके।

2. शिक्षा के संरचना सम्बन्धी सुझाव :-

(a) आयोग ने पूरे देश के लिए निम्नांकित शिक्षा संरचना का प्रस्ताव रखा —

(i) पूर्व प्राथमिक शिक्षा — 1-3 वर्ष अवधि की।

(ii) निम्न प्राथमिक शिक्षा — 4-5 वर्ष अवधि की। (कक्षा 1 में प्रवेश की न्यूनतम आयु 6 वर्ष)

(iii) उच्च प्राथमिक शिक्षा — 4 या 3 वर्ष की अवधि की।

(iv) A- ~~माध्यमिक शिक्षा (सामान्य की)~~ — 2 वर्ष अवधि की।

B- " " (व्यावसायिक की) — 2 या 3 वर्ष अवधि की।

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा (सामान्य की) — 2 वर्ष अवधि की।

" " (व्यावसायिक की) — 2 या 3 वर्ष अवधि की।

स्नातक शिक्षा (कला, विज्ञान, वाणिज्य) — 3 वर्ष अवधि की।

A Quality Product from Chitra